भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3147
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले

3147. श्री रमाशंकर राजभर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों तथा न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है तथा इन न्यायालयों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों तथा सामाजिक संगठनों से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायालयों में मामलों का निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारियों की उपलब्धता, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों जैसे बार, अनुसंधान एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। मामलों के निपटान में देरी के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूहीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायालयों की स्थापना करना, संबंधित उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।
उच्च न्यायालय के मामले में, न्यायपीठें जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और डब्ल्यूपी(सी) संख्या 379/2000 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार के प्रस्ताव पर उचित विचार के पश्चात् स्थापित की जाती हैं । उच्चतम न्यायालय के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय, दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायामूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करें। ग्यारहवें विधि आयोग ने 1988 में प्रस्तुत "उच्चतम न्यायालय - एक नयी दृष्टि" शीर्ष वाली अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय की न्यायपीठ, करने के लिए दसवें विधि आयोग द्वारा अपनी 95वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों, को दोहराया था । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक संवैधानिक पीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार कैसेशन न्यायपीठ स्थापित की जाएं।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को निर्दिष्ट किया गया, जिन्होंने बताया कि 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी पूर्ण न्यायालय बैठक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना का कोई औचित्य नहीं पाया। राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दे को आधिकारिक घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को संदर्भित करना उचित समझा। मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या को 2014 में 19,518 से बढ़कर 09.12.2024 तक 25,741 कर दी गई है। संबंधित राज्य सरकारों, संबंधित उच्च न्यायालयों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अनुमोदन से 01.05.2014 से 09.12.2024 तक की अवधि के दौरान, केंद्रीय सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या को 906 से बढ़ाकर 1122 कर दिया है, अर्थात् 216 पद। उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019, 09.08.2019 से प्रवृत हुआ, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 (सीजेआई को छोड़कर) कर दिया गया ।

(ग) और (घ): मई 2014 से, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रस्ताव पर जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के इस उद्देश्य से कई पहल की हैं :

i. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन, संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यमों से लंबित और बकाया मामलों में कमी करके और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि करके तथा पालन मानक और क्षमताओं की स्थापना करके पहुंच में अभिवृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों से अगस्त, 2011 में स्थापित किया गया था । मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर बल देते हुए, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना भी है ।

ii. न्यायिक अवसंरचनात्मक के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, अधिवक्ताओं के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के सन्निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों का जीवन आसान हो जाएगा, जिससे न्याय के परिदान में सहायता होगी । 1993-94 में न्यायपालिका के अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक, 11571.57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 31.10.2024 को 23,590 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,2011 से बढ़कर 31.10.2024 को 21,076 हो गई है ।

iii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण I और 2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी समर्थता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया था । 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कम्प्यूटरीकृत हो गए हैं । 99.5% न्यायालय परिसरों में वॉन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ बनाई गई है । 30.09.2024 तक, जिला न्यायालयों में 1375 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 28 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । तारीख

30.09.2024 तक, इन न्यायालयों ने 5.82 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है और 634.74 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने की वसूली की है । मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को, 7,210 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ई-न्यायालय के चरण-3 को मंजूरी दे दी है। चरण-1 और चरण-2 के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 का लक्ष्य डिजिटल, ऑनलाइन और कागजरहित न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय में अधिकतम आसानी की व्यवस्था शुरू करना है । इसका आशय सभी पणधारियों के लिए न्याय परिदान को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है ।

iv. सरकार उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को नियमित रूप से भरती रही है । तारीख 01.05.2014 से 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे । उक्त समय के दौरान उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 767 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

तारीख को	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
09.12.2024	25,741	20,479

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायामूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां स्थापित की गई हैं ।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है । तारीख 30.09.2024 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 862 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं । निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है । तारीख 30.09.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 408 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित कुल 750 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,81,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है ।

vii. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा आपराधिक विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न विधियों में संशोधन किया है ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, वाणिज्यिक विवादों के मामले में संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटारा (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था । समय-

सीमा विहित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का संशोधन किया गया है ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है, जो किसी मामले में दक्ष, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है, जिससे किसी विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके । यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान करने, मामले के काल के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है ।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए प्रारंभ की गई एक और नई सुविधा कलर बैंडिंग प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जाने सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को मामलों के लंबित स्तर के अनुसार उनकी सूची के बारे में सचेत करती है।

ix. साधारण लोगों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमे-पूर्व स्तर के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्थापन नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-नियत तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है :-
-

वर्ष	**मुकदमा-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
योग	**17,38,89,774**	**4,34,36,355**	**21,73,26,129**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्रेक अप**	**सलाह दी गई**	**% वार ब्रेक अप**
लिंग-वार				
महिला	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जाति वर्ग-वार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19

अ.पि.व.	3252495	31.69	3213067	31.67
अ.जा.	3246025	31.63	3215657	31.68
अ.ज.जा	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	**10262591**		**10146785**	

xii. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने के लिए न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो-बोनो पैनल प्रारंभ किया गया है । उभरते अधिवक्ताओं में प्रो-बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो-बोनो क्लब प्रारंभ किए गए हैं ।

****